न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ जिला (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
004/2024(गौवंश) (GCMS 2024/70)	27.03.2024	12.06.2024

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना भादसौडा, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

1. मुकेश कुमार पिता काशीराम गाडुलिया लौहार उम्र 26 वर्ष निवासी बस स्टैण्ड केदारिया, बांसडा थाना खेरोदा जिला उदयपुर।
2. राजु पिता बाबुलाल गाडुलिया लौहार उम्र 26 वर्ष निवासी चमारों का मौहल्ला धनेत कलां थाना सदर चित्तौड़गढ़ हाल निवासी बस स्टैण्ड केदारिया, बांसडा थाना खेरोदा जिला उदयपुर।

विपक्षीगण

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6'क' राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम, 1995

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि थानाधिकारी पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पुलिस थाना भादसौडा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 014/2024 दिनांक 27.02.2024 अपराध अन्तर्गत धारा 5, 6 व 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 53 GA 1114** के निस्तारण बाबत् अधिनियम 1955 की धारा 6 'क' के तहत विपक्षीगण के विरूद्ध प्रकरण प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। दिनांक 23.04.2024 को विपक्षीगण की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अधिवक्ता विपक्षी ने दिनांक 12.06.2024 को जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण में प्रार्थीया श्रीमती राधादेवी पत्नी मुकेश जाति गाडीया लौहार निवासी केदारिया बस स्टैण्ड के पास बांसडा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर की और से पुलिस थाना भादसौडा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 014/2024 दिनांक 27.02.2024 अपराध अन्तर्गत धारा 5, 6 व 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम, 1995 में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 53 GA 1114** को प्रार्थी अधिकृत/वाहन स्वामी को सिपुर्द किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 451–457 जाफ्ता फौजदारी के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसके प्रकरण संख्या 029/2024 (रे.वि.) दर्ज रजिस्टर होकर लम्बित है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया गया है कि प्रार्थी का वाहन पुलिस थाना भादसौडा में वजह सबूत अपनी तहवील में ले रखा है, जिसका प्रार्थी एक मात्र रजिस्टर्ड वाहन स्वामी है। जब्तशुदा वाहन की पुलिस थाना भादसौडा को कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त वाहन की मासिक किश्ते प्रार्थीया को उक्त वाहन से ही कमा कर अदा करनी होती है, यदि वाहन समय रहते नहीं छुटा तो प्रार्थीया को अकथनीय आर्थिक क्षति होगी तथा प्रार्थी गरीब परिवार का है तथा उस पर परिवार की जिम्मेदारिया है एवं प्रार्थना की गई कि प्रार्थीया को जब्तशुदा वाहन को सिपुर्दगीनामें व जमानतनामा पर सिपुर्द किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 451–457 जा0फौ0 के तहत प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना भादसौडा चित्तौड़गढ़ से प्रार्थना–पत्र पर टिप्पणी/अभिमत प्राप्त किया गया। इस पर पुलिस थाना थानाधिकारी पुलिस थाना भादसौडा जिला चित्तौड़गढ़ से पत्रांक/857 दिनांक 11.06.2024 से टिप्पणी/अभिमत प्रेषित किया गया है जो कि प्रकरण संख्या 029/2024 (रे.वि.) में शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। थानाधिकारी पुलिस थाना भादसौडा चित्तौड़गढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण में जुर्म धारा 5,6,8 राजस्थान गौवंशीय पुश अधिनियम, 1955 में अपराध प्रमाणित पाये जाने से चार्जशीट पाया जाता है। वाहन के संबंध में कोई अनुसंधान शेष नहीं है।

हस्तगत दोनों प्रकरणों के पुलिस थाना भादसौडा जिला चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 014/2024 दिनांक 27.02.2024 में जब्तशुदा वाहन के निस्तारण का प्रश्न निहित है। ऐसी स्थिति उक्त दोनो प्रकरणों में एक साथ सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। दोनो प्ररकणों में एक साथ सुनवाई की जाकर उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन)(संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6 'क' के अनुसार इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जाये तो ऐसा अपराध करने के लिये उपयोग में लाया गया प्रवहन का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

होता है जिला कलक्टर सक्षम प्राधिकारी होने के नाते उक्त वाहन के अधिहरण के आदेश फरमाया जाकर जब्तशुदा वाहन को अधिहरण किया जावें।

इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी (प्रार्थना–पत्र 029/2024 (रे.वि.) द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है। अधिनियम की धारा 6(क) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त वाहन की सिपुर्दगी प्रार्थी को दी जावें। प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन से कोई अवैध गौवंश का परिवहन नहीं किया जा रहा था, अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन संख्या **RJ 53 GA 1114** के आवश्यक दस्तावेज होने रिलीज करने का कृपा करावें। राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन)(संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(क) की उप–धारा (2) के तहत प्रवहण के साधन के स्वामी को जुर्माने का संदाय करने का विकल्प फरमाया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की द्वारा बहस का चित्त मन से शांतिपूर्वक चिंतन–मनन किया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रकरण में पुलिस रिपोर्ट अनुसार वाहन में 02 गौवंश(बैल) दुगार तहसील बस्सी से भरकर पिकअप से परिवहन करना बताया गया है। परिवहन के संबंध में अभियुक्तगण द्वारा वैद्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये है। इसी कारण से अपराध धारा 5,6,8 राजस्थान गौवंशीय पुश अधिनियम, 1955 के अर्न्तगत होना दर्शित है। प्रार्थी द्वारा गौवंश के अवैध परिवहन व बिना सक्षम स्वीकृति के परिवहन की पुष्टी होती है, जबकि विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने अपनी मौखिक बहस में उक्त तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि गौवंश(बैल) कृषि कार्य हेतु परिवहन किया जा रहा था, एवं गौवंश(बैल) के साथ में किसी भी प्रकार से कोई निर्दयता नहीं की गई है तथा बैल पूरी तरह से स्वस्थ है जिसकी पुष्टि गौवंश की मेडीकल रिपोर्ट से होती है।

हमने संशोधन अधिनियम 2018 के प्रावधानों का चिंतन–मनन किया। हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा वाहन से कुल 02 गौवंश(बैल) बरामद किये गये है, इस बाबत् अभियुक्त गण अवगत कराया गया है कि उक्त 02 बैल कृषि कार्य हेतु परिवहन किये जा रहे थे एवं उक्त दोनो बैल पूरी तरह से स्वस्थ होकर किसी भी प्रकार से चोट ग्रस्त नहीं है। बैल के स्वस्थ होने से संबंध में मेडीकल रिपोर्ट अनुसंधान पत्रावली पर उपलब्ध है, जो गौवंश के चोटिल नही होने एवं स्वस्थ होने की ताईद करती है इसके साथ संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 6(क) की उप–धारा (2) में प्रावधित किया गया है कि अधिहरण का आदेश करने से पूर्व उप–धारा (1) निर्दिष्ट प्रवहण के साधन के स्वामी को अधिहरण के बदले में प्रवहण के ऐसे, साधन के बाजार मूल्य से अनधिक के जुर्माने का संदाय करने का विकल्प दिया जा सकेगा। इसके साथ ही

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह तय किया जा सके की प्रवहण के साधन के स्वामी को पूर्व में इस परन्तुक के अधीन विकल्प दिया जा चुका है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेष के आधार पर हस्तगत पुलिस थाना भादसौडा जिला चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 014/2024 दिनांक 27.02.2024 अपराध अन्तर्गत धारा 5, 6 व 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 में जब्तशुदा वाहन के निस्तारण के संबंध में प्रार्थना–पत्र 029/2024 (रे.वि.) के प्रार्थीया श्रीमती राधादेवी पत्नी मुकेश जाति गाडीया लौहार निवासी केदारिया बस स्टैण्ड के पास बांसडा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर द्वारा जुर्माना राशि रूपये **15,000/–** अक्षरे **पन्द्रह हजार रूपये मात्र** के संदाय किये जाने पर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 53 GA 1114** को रूपये 5,00,000/– अक्षरे पांच लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर विहित शर्तो पर सुिपर्दगी में दिये जाने का आदेश जाता है। संबधित प्रार्थी द्वारा आदेशानुसार जुर्माना राशि राजकोष में जमा करा चालान/रसीद व अपेक्षित जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश किये जाने पर संबंधित प्रकरण प्रार्थना–पत्र 029/2024(रे0वि0) अनवानी श्रीमती राधादेवी बनाम सरकार में वाहन सिपुर्द किये जाने बाबत् तहरीर जारी हों। संबंधित प्रार्थीया द्वारा जुर्माना राशि और अपेक्षित जमानतनामा व सिपुर्दगीनामा एक माह की अवधि में प्रस्तुत नहीं करने पर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 53 GA 1114** को नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार जरिये निलामी के निस्तारण कर प्राप्त आय को राजकोष में जमा कराया जावें। निर्णय की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना भादसौडा जिला चित्तौड़गढ़ को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **12.06.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official